फार्म बी0एम0-9(भाग-1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भॉति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम "21-लेखाशीर्षक 3456-सिविलपूर्ति-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित राज्य आयोग एवं जिला फोरमों का अधिष्ठान" वित्तीय वर्ष 2021-22 प्रपत्र–बी0एम0-9

(धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
3456-00-001-06-00-**08कार्यालय व्यय)**	45.50	14.91	4.00	4.00	41.50
3456-00-001-06-00-**09- (विद्युत देय)**	130.00	55.70	48.00	48.00	82.00
3456-00-001-06-00-**10- (जलकर व जलप्रभार)**	22.00	2.22	2.00	2.00	20.00
3456-00-001-06-00-**11- (लेखन सामग्री)**	20.00	7.30	4.00	4.00	16.00
3456-00-001-06-00-**12- (कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण)**	41.18	17.19	10.00	10.00	31.18
योग	258.68	97.32	68.00	**68.00**	190.68

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण			वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा		
लेखा शीर्ष (15 डिजिट कोड में) **आयोजनेत्तर**	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3456-00-001-06-00-58 (आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान)	200.00	268.00	**68.00**	68.00	268.00
योग	**200.00**	**268.00**	**68.00**	68.00	268.00

(1)प्रमाणित किया जाता है कि उपर्यक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों /परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या- आर0ई0 169/ई-7/दस-2021 दिनॉक दिसम्बर, 2021

सेवा में, महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज

(अरविन्द सिंह),
अनु सचिव,
उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग।

(राजेन्द्र राम),
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

संख्या- /चौरासी-2-2021 दिनांक 09 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य़वाही हेतु प्रेषितः-

1. निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. वरिष्ठ ऑडिट ऑफिसर (ऑडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।
5. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, लेखा, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन (तीन प्रतियों में)।
10. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, लखनऊ।
11. गार्ड फाइल।